स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) उ0प्र0
की 17वीं बैठक दिनांक 30.07.2015 (गुरूवार) का
कार्यवृत्त

बैठक स्थान– मुख्य सचिव, सभागार एनेक्सी भवन, उ0प्र0 शासन लखनऊ

उपस्थिति– संलग्न है।

अध्यक्ष एसएलएनए/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्मानित सदस्य गण एवं विभागीय अधिकारी गण की उपस्थिति में एसएलएनए की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए/विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए एजेण्डावार विवरण प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श पश्चात् बैठक में निम्नप्रकार निर्णय लिये गये।

1. एसएलएनए की दिनांक 11.07.2014 में आयोजित 16वीं बैठक के कार्यवृत्त पर सर्वम्मति से पुष्टि की गयी।
2. एसएलएनए की 16वीं बैठक दिनांक 11.07.2014 में लिये गये निर्णयों के बिन्दुओं अनुपालन की स्थिति से सदन को अवगत कराया गयाः–

(i) शासन के पत्र संख्या–73/58–परती– 2014/8(3)/2011 दिनांक 08.08.2014 द्वारा प्रदेश के 49 जनपदों में 443 माइक्रोवाटरशेड की 58 परियोजनायें, जिनका क्षेत्रफल 2,92,719 हे0 है, के पीपीआर तैयार कराकर स्टेट लेवल नोडल एजेंसी (SLNA) की 16वीं बैठक दिनांक 11.07.2014 में अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। दिनांक 10.11.2014 को भारत सरकार की स्टेयरिंग कमेटी की 38वीं बैठक में 49 जनपदों की 58 परियोजनाओं के प्रस्तुत पीपीआर को मूल्यांकन पश्चात् स्वीकृत किया गया।

(ii) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(iii) एसएलएनए के पत्र संख्या 498/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आवश्कतानुसार भविष्य में शासनादेश दिनांक 18.11.2013 को रिविजिट कर रिकास्ट किया जायेगा।

(iv) एसएलएनए के पत्र संख्या 498/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आवश्कतानुसार भविष्य में शासनादेश दिनांक 18.11.2013 को रिविजिट कर रिकास्ट किया जायेगा।

(v) एसएलएनए के पत्र संख्या 498/ एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आवश्कतानुसार भविष्य में शासनादेश दिनांक 3.12.2013 को रिविजिट कर रिकास्ट किया जायेगा।

(vi) एसएलएनए के पत्र संख्या 498/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आवश्कतानुसार भविष्य में शासनादेश दिनांक 3.12.2013 को रिविजिट कर रिकास्ट किया जायेगा।

(vii) परती भूमि विकास विभाग उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 87/85–परती–14 /8(22)/2011 दिनांक 19.08.2014 द्वारा जिलाधिकारी/ अध्यक्ष वाटरशेड कम डाटा सेन्टर चित्रकूट को जनपद चित्रकूट में वर्ष 2011–12 में स्वीकृत परियोजना आईडब्लूएमपी–XII का अधिकांश जल संग्रहण क्षेत्र वन विभाग के नियंत्रण में होने के कारण रानीपुर वन्य जीव विहार, कैमूर वनजीव प्रभाग मिर्जापुर को पी0आई0ए0 नामित करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये जा चुके है।

(viii) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(ix) एसएलएनए के निर्देशानुसार सेवा प्रदाता के चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा एसएलएनए के पत्र संख्या 744/एसएलएनए/सर्वि.प्रो./2014–15 दिनांक 10.12.2015 द्वारा चयनित सेवा प्रदाता को आदेश निर्गत किया गया है।

(x) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(xi) अधिक दायित्व सृजित होने के कारण संस्थागत मद की धनराशि का समायोजन नहीं हो पाया। भविष्य में संस्थागत मद में प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन कर लिया जायेगा।

(xii) भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से संस्थागत मद में रु0 596.03 लाख प्राप्त हुआ है।

(xiii) स्टेट लेवल नोडल एजेंसी (एसएलएनए) से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त शासन के पत्र संख्या–86/85–परती–2014/1 (समादेश)/08 टीसी दिनांक 19.08.2014 द्वारा भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आईडब्ल्यूएमपी– प्रथम एवं आईडब्ल्यूएमपी – चतुर्थ परियोजनाओं के क्षेत्र में हुये परिवर्तन के दृष्टिगत संशोधित क्षेत्र का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(xiv) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(xv) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(xvi) दिनांक 11.07.2014 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में संस्थागत व्यवस्था एवं विभागीय ढांचा सुदृढ करने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–108/85–परती–2014/1 (समादेश)/2008 दिनांक 15.08.2014 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्टेट लेवल नोडल एजेंसी का पुर्नगठन किया गया जिसमें सचिव/ प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास

विभाग को सदस्य सचिव नामित किया गया है तथा आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश, रामगंगा समादेश एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को एसएलएनए के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

(xvii) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(xviii) कार्यवाही क्रमिक है।

(xix) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(क) एसएलएनए की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक त्रैमास में कराने का प्रयास किया जायेगा।

(ख) शासनादेश संख्या–110/85–परती – 2014/8(7)/2013 दिनांक 03.11.2014 द्वारा प्रदेश स्तर पर मॉनीटरिंग एवं इवैल्यूएशन के लिये तैयार किये गये टीओआर के अनुसार चयनित संस्था PROACT, Lucknow की सेवाओं को समाप्त करते हुये भारत सरकार से प्राप्त टीओआर के अनुसार एसएलएनए के पत्र संख्या– 854/एसएलडीसी (मूल्यांकन) 2014–15 दिनांक 22.12.2014 द्वारा मे0 आईआरजी सिस्टम, साउथ एशिया प्रा0लि0 नई दिल्ली संस्था का चयन किया गया है।

3. आईडब्ल्यूएमपी योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 के मासान्त जून, 2015 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सदन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक स्वीकृत 596 परियोजनाओं में कुल रु0 679.09 करोड़ उपलब्ध कराया गया, जिसके विरुद्ध माह जून,2015 तक रु0 547.18 करोड़ व्यय किया गया था। वित्तीय वर्ष के अन्त में रु 156.14 करोड़ अवशेष था। माह अप्रैल, मई एवं जून में रु0 24.23 करोड़ व्यय किया गया, इस प्रकार माह जून के अन्त में इन परियोजनाओं में रु0 131.91 करोड़ अवशेष था। प्रगति समीक्षा के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव महोदय ने विचार व्यक्त किए कि परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तथा यदि सम्भव हो तो जनपद के टेक्निकल एक्सपर्ट को टेबलेट भी उपलब्ध कराया जाए जिससे प्रगति सूचनाओं का आदान–प्रदान सुविधाजनक हो सकेगा और कार्यों का मूल्यांकन भी सामयिक रूप से होगा।

प्रमुख सचिव महोदय ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर क्षेत्र के विकास में पड़ने वाले परिणामों का भी मूल्यांकन करने के निर्देश दिए तथा अपेक्षा की कि फसल सघनता, सृजित सिंचन क्षमता, प्रमुख फसलों की उत्पादकता आदि में पड़ने वाले प्रभाव की भी सूचना तैयार कराई जाए।

4. वित्तीय वर्ष 2010–11 में जनपद ललितपुर की स्वीकृत आईडब्ल्यूएमपी– X परियोजना के माइक्रोवाटरशेड 2C2D2h1a का समस्त कार्य योग्य क्षेत्र 335 हे0 तापीय विद्युत परियोजना हेतु अधिगृहित हो जाने के कारण परियोजना क्षेत्र से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदन को अवगत कराया

कि माइक्रोवाटरशेड 2C2D2h1 का कार्य योग्य क्षेत्र 335 हे0 पावर जनरेशन कम्पनी लि. तापीय विद्युत परियोजना के स्थायी निर्माण हेतु अधिग्रहित किया जा चुका है तथा इस पर तापीय विद्युत परियोजना का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। इस माइक्रोवाटरशेड को परियोजना क्षेत्र से हटाने के पश्चात् आई.डब्ल्यू.एम.पी.– X परियोजना का उपचार योग्य क्षेत्र 5015 हे0 तथा अनुमानित लागत रू0 601.80 लाख शेष बचेगी।

सम्यक् विचारोपरान्त एस.एल.एन.ए. द्वारा परियोजना क्षेत्र में हुए परिवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. वित्तीय वर्ष 2010–11 में जनपद बांदा की स्वीकृत आईडब्ल्यूएमपी–III परियोजना का माइक्रोवाटरशेड 2C1A6c2e सिंचित एवं समतल क्षेत्र में होने के कारण इसके स्थान पर माइक्रोवाटरशेड 2C1A7k1a एवं 2C1A7k1b को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदन को अवगत कराया कि इस परियोजना में विकास खण्ड बबेरू के अन्तर्गत चयनित माइक्रोवाटरशेड 2C1A6c2e का समस्त कार्ययोग्य क्षेत्र 920 हे0 केन नहर प्रणाली में बबेरू राजवाहा के कुलाबा कमाण्ड के सिंचित क्षेत्र में स्थित है। जिलाधिकारी, अध्यक्ष वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, बॉदा के पत्र सं.0 101/प्र0अनु0/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2015–16 दिनांक 09.06.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि माइक्रोवाटरशेड 2C1A6c2e में कार्य कराना धनराशि का दुरूपयोग मात्र होगा एवं इसके स्थान पर माइक्रोवाटरशेड 2C1A7k1a एवं 2C1A7k1b को परियोजना में सम्मिलित करने की संस्तुति की गयी है, साथ ही यह अवगत कराया गया है कि माइक्रोवाटरशेड के चयन के फलस्वरूप ई.पी.ए., लीवलीहुड, माइक्रो इन्टरप्राइजेज एवं प्रोडक्शन सिस्टम में पूर्व स्वीकृत ग्राम ही रहेंगे एवं उपचारित क्षेत्र 920 हे0 ही लिया जायेगा।

सम्यक् विचारोपरान्त एस.एल.एन.ए. द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदन को अवगत कराया कि समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 की 121 एवं 2012–13 की 64 कुल स्वीकृत 185 परियोजनाओं के डीपीआर तैयार करने हेतु रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर उ0प्र0 तथा वैपकॉस लिमिटेड को दिनांक 24.06.2013 को अनुबन्धित किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार 35 परियोजनाओं का डीपीआर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर उ0प्र0 को तैयार करना था तथा 150 परियोजनाओं का डीपीआर वैपकॉस लि0 को तैयार करना था। वित्तीय वर्ष 2011–12 की परियोजनाओं का डीपीआर सितम्बर, 2013 तक तथा 2012–13 की परियोजनाओं का डीपीआर दिसम्बर, 2013 तक तैयार करने की समय सीमा निर्धारित की गयी थी। दोनों संस्थाओं द्वारा समय से डीपीआर तैयार कर उपलब्ध नहीं कराया गया तथा कई बार उनके अनुरोध पर इस कार्य हेतु समय सीमा विस्तारित की गयी। अन्तिम बार समय सीमा का विस्तार षासन के पत्र सं0–122/85–परती–2014/8(15)/2013 टीसी–III दिनांक 09.02.2015 द्वारा करते हुये 31.03.2015 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, साथ ही अनुबन्धित

संस्थाओं को यह अवगत कराया गया कि विस्तारित अवधि में अवशेष कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जायेगा तथा दोषी संस्थाओं/पीआईए के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अन्तिम रूप से डीपीआर तैयार करने हेतु निर्दिष्ट अवधि 31.03.2015 तक वैपकॉस लि0 द्वारा 66 परियोजनाओं का तथा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर उ0प्र0 द्वारा 9 परियोजनाओं का डीपीआर एसएलएनए को उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार 110 परियोजनाओं का डीपीआर तैयार किया जाना शेष था। इनमें 57 परियोजनायें वित्तीय 2011–12 की तथा 53 परियोजनायें वित्तीय वर्ष 2012–13 की सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 110 स्वीकृत परियोजनाओं का डीपीआर SIRD बक्शी का तालाब, लखनऊ तथा स्टेप HBTI, कानपुर से तैयार कराने का कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव एस0एल0एन0ए0 के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

सम्यक् विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने डी.पी.आर. बनाने में हुए विलम्ब पर खेद प्रकट करते हुए 110 डी.पी.आर. आगामी 03 माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

7. जनपद स्तर पर गठित डब्ल्यूसीडीसी में मात्र एक तकनीकी विशेषज्ञ तथा एक कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने का कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव एस0एल0एन0ए0 के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एस0एल0एन0ए0 को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्गत समान मार्गदर्शी सिद्वान्त 2008 यथा संशोधित 2011 के अनुसार जनपद में 25000 हे0 के ऊपर उपचार योग्य क्षेत्र होने पर डब्ल्यू0सी0डी0सी0 में दो तकनीकी विशेषज्ञ तथा दो कम्पयूटर आपरेटर रखने का प्रावधान है। प्रदेश में वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 में कुल 249 परियोजनायें स्वीकृत हुई थी। यह सभी परियोजनायें वर्कफेज में है। वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में स्वीकृत परियोजनाओ की डीपीआर भी पूर्ण नही हो सकी है और यह परियोजनायें अभी प्रारम्भिक चरण में है। कतिपय जनपदों में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में स्वीकृत परियोजनाओं के उपचार योग्य क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये दो तकनीकी विशेषज्ञ तथा दो कम्पयूटर आपरेटर रख लिये गये है। जबकि इन दोनो वर्षो में स्वीकृत परियेाजनाओ हेतु वर्कफेज की धनराशि भारत सरकार से आगामी वर्ष में भी अवमुक्त होना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में डब्ल्यूसीडीसी में रखे गये दूसरे तकनीकी विशेषज्ञ तथा दूसरे कम्पयूटर आपरेटर की सेवाओ की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञानित कराया गया कि भारत सरकार द्वारा आईडब्ल्यूएमपी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आछादित करते हुये फन्डिंग पैटर्न 90:10 को संशोधित कर 50:50 किया जाना प्रस्तावित है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नही है कि चालू वित्तीय वर्ष में संस्थागत मद में कितनी धनराशि उपलब्ध होगी। उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत डब्ल्यू.सी.डी.सी. स्तर पर हो रहे संस्थागत व्यय को सीमित रखने के

उद्देश्य से कार्यालय पत्र संख्या 363/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 02.06.2015 द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजना से आछाच्दित प्रत्येक जनपद में मात्र एक तकनीकी विशेषज्ञ एवं एक कम्पयूटर आपरेटर रखने के निदेश दिये गये है तथा बाद में रखे गये तकनीकी विशेषज्ञ एवं कम्पूयटर आपरेटर की सेवायें वापस लेने हेतु सेवा प्रदाता से अनुरोध करने के निर्देश समस्त उपनिदेशक एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को दिये गये है। इस संदर्भ में कार्यालय पत्र संख्या 391/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 18.06.2015 द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प0 के समस्त उपनिदेशक एवं भूमि संरक्षण अधिकारियो से यह अपेक्षा की गयी कि यदि किसी कारणवश पूर्व में रखे गये अर्थात् वरिष्ठ टेकिनकल एक्सपर्ट अथवा वरिष्ठ डाटा इन्टी आपरेटर की सेवाओ को सेवा प्रदाता को वापस किये जाने की आवश्यकता है तो उन कराणो से एस0एल0डी0सी0 को अवगत कराया जाय, परीक्षणोपरान्त एस0एल0एन0ए0 की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् वरिष्ठ टेक्निकल एक्सपर्ट तथा वरिष्ट डाटा इन्ट्री आपेरटर की सेवाओ को वापस किया जायेगा।

सम्यक् विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि डब्ल्यू.सी.डी.सी. का टेक्निकल एक्सपर्ट जिला स्तरीय कर्मचारी होने के कारण योजना का महत्वपूर्ण अंग है ऐसी स्थिति में इसको टेक्निकली सुदृढ़ होना चाहिए जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मैरिट के आधार पर परीक्षण करते हुए अयोग्य कर्मियों की स्क्रिनिंग किए जाने का आश्वासन दिया गया।

8. प्रोजेक्ट फण्ड में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण पीआईए स्तर पर कार्यरत डब्ल्यूडीटी सदस्यों को सेवा प्रदाता को वापस करने सम्बन्धी निर्गत आदेश दिनांक 02.06.2015 का कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव एस0एल0एन0ए0 के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसके सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया गया कि आई0डब्ल्यू0एम0पी0 के कियान्वयन हेतु प्रदेश में लगभग 900 डब्ल्यू0डी0टी0 सदस्य सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे गये है जिनके मानदेय का भुगतान परियोजना की धनराशि में उपलब्ध होने वाले प्रशासनिक मद से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में स्वीकृत परियोजनाओ का डीपीआर अभी तैयार कराया जा रहा है, ऐसी स्थिति में निर्धारित अवधि में इन परियोजनाओ को पूर्ण करना संभव नही होगा। वर्ष 2014–15 में प्रशासनिक मद की धनराशि से डब्ल्यू0डी0टी0 सदस्यो को पारिश्रमिक का भुगतान कतिपय जनपदो में सम्भव नही हो पा रहा है। यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आच्छादित किये जाने तथा फन्डिंग पैटर्न में संशोधन प्रस्तावित किये जाने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुयी है तथा यह स्पष्ट नही है कि किस सीमा तक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त के दृष्टिगत कार्यालय पत्र संख्या 364/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 02.06.2015 द्वारा समस्त उपनिदेशक, भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया कि

परियोजना मद की धनराशि प्राप्त न होने के कारण जिन जनपदों में डब्ल्यूडीटी सदस्यो का मासिक पारिश्रमिक भुगतान किया जाना सम्भव नही हो रहा है उन जनपदों के समस्त डब्ल्यूडीटी सदस्यो को लम्बित पारिश्रमिक का भुगतान करते हुये सेवा प्रदाता विब्योर इन्फो प्रा0 लि0 के लिये कार्यमुक्त कर दिया जाय।

सम्यक् विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में मनरेगा कनवर्जेंस से वनीकरण कराने हेतु निर्गत आदेश दिनांक 22.04.2015 का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सदन को अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में मनरेगा हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में स्वीकृत आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में से प्रत्येक जनपद में एक परियोजना को माडल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पर्याप्त एरिया वाले दो स्थलों का वनीकरण हेतु चयन करके मनरेगा फण्ड से कार्य करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 265/एसएलडीसी/मनरेगा–कन्जवेन्स/2015–16 दिनांक 22.04.2015 द्वारा समस्त उपनिदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्देशित किया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 265/एसएलडीसी/मनरेगा–कन्जवेन्स/2015–16 दिनांक 22.04.2015 द्वारा उपरोक्त कार्य को कराने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. वित्तीय वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा, उपयोगिता प्रमाण–पत्र, बैलेंस शीट, बैंक समाधान विवरण आदि तैयार कराने एवं प्रदेश स्तर की संकलित सूचना निर्धारित मानकों के अनुरूप भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेंट के पैनल से कराये जाने हेतु आमंत्रित ईओआई का कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथासंशोधित 2011) एवं भारत सरकार के पत्र सं0–11013/19/2009/आईडब्ल्यूएमपी (UP) दिनांक 20.08.2010 के प्रस्तर–13 से 19 में चार्टर्ड एकाउन्टेंट से ऑडिट कराये जाने के प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश में संचालित समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का डब्ल्यूसीडीसी/पीआईए/डब्ल्यूसी तथा एसएलएनए स्तर के समस्त (संस्थागत/परियोजनावार) अभिलेखों का वित्तीय वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षा, उपयोगिता प्रमाण–पत्र, बैलेंशशीट, बैंक समाधान विवरण आदि तैयार करने एवं प्रदेश स्तर की संकलित सूचना निर्धारित मानकों के अनुसार भारत सरकार को प्रेषित करने के लिये भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेंट के पैनल से कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 341/एसएलडीसी/लेखा–ईओआई/2015–16 दिनांक 21.05.2015 द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expersion of Interest) आमंत्रित किया गया है।

तद्नुसार एस0एल0एन0ए0 को संज्ञानित कराया गया।

11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान समय में एस0एल0डी0सी0 का कार्यालय आठवां तल, एल्डिको कारर्पोरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थापित है। कार्यालय भवन के किराये पर लगभग रू0 3.00 लाख प्रतिमाह का व्यय करना पड़ता है। इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय स्तर पर कियान्वित करने हेतु मुख्य रूप से शारदा सहायक समादेश एवं रामगंगा समादेश की भूमि संरक्षण इकाईयों को परियेाजना कार्यान्वयन एजेन्सी (पीआईए) नामित किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुश्रवण में शारदा सहायक समादेश एवं रामगंगा समादेश के अध्यक्ष एवं प्रशासक, की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एस0एल0डी0सी0, शारदा सहायक समादेश एवं रामगंगा समादेश का कार्यालय अलग–अलग किराये के भवन में स्थापित है। किराये के रूप में तीनो संस्थाओ द्वारा बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है तथा अलग–अलग कार्यालय स्थापित होने के कारण कार्यक्रम के अनुश्रवण में भी अनेक व्यवहारिक कठिनाईयॉ आती है। शारदा सहायक समादेश प्राधिकारी का अलीगंज लखनऊ में लगभग 01 हे0 का प्लाट उपलब्ध है जिस पर कार्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इस कार्यालय भवन के निर्मित हो जाने की स्थिति में समादेश मुख्यालयो के साथ एस0एल0डी0सी0 का कार्यालय भी उसी भवन में स्थापित किया जा सकता है। राजकीय भवन में कार्यालय स्थापित होने की दशा में भवन किराये के रूप में किये जा रहे शासकीय धन के भुगतान में कमी आयेगी साथ ही कार्यक्रम कें अनुश्रवण में भी सुविधा होगी

धनावभाव के कारण कार्यालय भवन के निर्माण में कठिनायी आ रही है। भवन निर्माण में सहयोग हेतु एक वर्ष के मासिक किराये के समतुल्य धनराशि का भुगतान एस.एल.एन.ए. से शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी को किया जाना प्रस्तावित है।

सम्यक् विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल 53 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी जिनका कार्य योग्य क्षेत्रफल 269843 हे0 तथा अनुमानित लागत रू0 323.81 करोड़ था। स्वीकृत लागत के सापेक्ष प्रारम्भिक चरण की 6 प्रतिशत धनराशि रू0 19.43 करोड़ वर्ष 2011–12 में डब्ल्यूसीडीसी को अवमुक्त किया गया था। विस्तृत सर्वेक्षणपरान्त स्वीकृत परियोजनाओं के क्षेत्र में कमी आने के कारण 16 परियोजनाओ को फोरक्लोज किया गया। वर्तमान स्वीकृत 37 परियेाजनाओ का कार्य योग्य क्षेत्र 1,72,785.65 हे0 तथा अनुमानित लागत रू0 207.34 करोड़ है। वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र के सापेक्ष प्रारम्भिक चरण की 6 प्रतिशत धनराशि रू0 12.44 करोड़ की अनुमन्यता बनती है। इस प्रकार पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 19.43 करोड़ में से वर्तमान अनुमन्य धनराशि रू0 12.44 करोड़ को घटाते हुये अवशेष घनराशि रू0 6.99 करोड़ का समायोजन किया जाना आवश्यक है।

सम्यक् विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

13. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

(i). मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि एस0एल0एन0ए0 स्तर से विभिन्न लाभग्राही वर्गो के प्रशिक्षण हेतु कार्यालय पत्रांक 466/एस0एल0डी0सी0–प्रशिक्षण/2015–16 दिनांक 15.07.2015 निर्गत किया गया है। प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य तीन संस्थाओं दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ, साइंस एण्ड टेक्नालॉजी इण्टर प्रन्योर्स पार्क एच0बी0टी0आई, कानपुर एवं राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ को दिया गया है। इन संस्थानों के प्रशिक्षण की दरें तथा प्रति सत्र प्रशिक्षार्णियों की संख्या भी निर्धारित कर दी गयी है। सम्प्रति निर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन माह के लिए प्रभावी किया गया है। तीन माह पश्चात् प्राप्त फीड बैक के आधार पर विस्तारित किये जाने का प्राविधान है।

सम्यक् विचारोपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा निर्गत कार्यालय पत्र संख्या 466/एस0एल0डी0सी0–प्रशिक्षण/2015–16 दिनांक 15.07.2015 का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii). मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि आई0डब्लू0एम0पी0 की परियोजनाओं के संचालन हेतु राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं पी0आई0ए0 स्तर पर सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिक तैनात किये जाते हैं। कार्मिकों की व्यवस्था के लिए दिनांक 12.12.2014 को मे0 विब्योर इन्फो प्राइवेट लि0 एवं एस0एल0एन0ए0 के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित हुआ था। अनुबन्ध की शर्त 29 के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा 0.02 प्रतिशत की धनराशि सर्विस चार्ज के रूप में कार्मिकों के मानदेय के भुगतान में से ली जानी है तथा अनुबन्ध की शर्त 18 में उल्लेख है कि एस0एल0एन0ए0 द्वारा कार्मिकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक में ही सर्विस चार्ज तथा सर्विस टैक्स सम्मिलित रहेगा। सम्पादित एम0ओ0यू0 के अनुसार सेवा कर की कटौती कार्मिकों के मानदेय से करने पर उनको मानेदय के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि में भारी कमी हो रही है, जब कि अन्य संस्थानों द्वारा सेवाकर के रूप में जमा किये गये राजकीय कर की प्रतिपूर्ति की जाती है। अतः इस सम्बन्ध में विचारणीय है कि सेवा प्रदाता मे0 विब्योर इन्फो प्रा0लि0 द्वारा जमा किये गये सेवाकर को एस0एल0एन0ए0 स्तर से प्रतिपूर्ति किया जाए, जिससे कार्मिकों को भारत सरकार के शासनादेश में निर्धारित किया गया मानदेय प्राप्त हो सकेगा। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि जब भारत सरकार द्वारा संस्थागत मद में दिये जाने वाला मानदेय निर्धारित है तो एस.एल.एन.ए. द्वारा किस फण्ड से प्रतिपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि मानदेय हेतु संस्थागत मद की कुल धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होती है।

ऐसी स्थिति में सम्यक् विचारोंपरान्त एस.एल.एन.ए. द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को भारत सरकार को सन्दर्भित किया जाय तथा सर्विस टैक्स हेतु पृथक से बजट की मॉग की जाय।

(iii). मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि आई0डब्लू0एम0पी0 के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर मनरेगा में निर्धारित मजदूरी दर से कम होने के कारण मजदूरों की उपलब्धता न होने की बात क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर कही जाती है। एस0एल0एन0ए0 की 15 वीं बैठक दिनांक 01.07.2013 के एजेण्डा बिन्दु संख्या–32 में अकुषल श्रमिकों को मजदूरी रू0 142.00 प्रतिदिन की दर से निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0–293/54–1–09/05 टीसी दिनांक 17.06.2013 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह दरें तत्समय मनरेगा में निर्धारित दरों के अनुसार थी। वर्तमान में भी आई0डब्लू0एम0पी0 के अन्तर्गत रू0 142.00 प्रतिदिन की दर से अकुशल श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित है, जब कि मनरेगा योजनान्तर्गत शासनादेश सं0–837/38–7–2015–42 एनआरईजीए/2007 दिनांक 01 मई, 2015 के द्वारा अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रू0 156.00 को पुनरीक्षित करते हुए रू0 161.00 निर्धारित की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में उचित प्रतीत होता है कि आई0डब्लू0एम0पी0 के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर समय–समय पर मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप स्वीकार करते हुए कार्य कराये जाएं तथा मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित शिड्यूल ऑफ रेट के अनुरूप ही आऊट पुट प्राप्त किया जाए।

सम्यक् विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iv). मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि आई0डब्लू0एम0पी0 के संचालन हेतु एस0एल0एन0ए0 कार्यालय पर शासकीय कर्मचारियों तथा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कर्मी तैनात हैं। वर्तमान में शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, लखनऊ से 08 कर्मचारी तथा रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर से 02 कुल 10 शासकीय कर्मचारी एस0एल0एन0ए0 से सम्बद्ध हैं। इन शासकीय कर्मचारियों को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाता है। इनके वेतन का भुगतान शारदा सहायक समादेश/रामगंगा कमाण्ड से किया जाता है। एस0एल0एन0ए0 में सम्बद्ध रहते हुए इन कर्मचारियों को कार्यो के दौरान स्थानीय स्तर पर यात्राएं भी करनी पडती हैं, जिसके अन्तर्गत कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। जिसके कारण इन शासकीय सेवकों द्वारा अन्य स्थानों पर जाकर कार्यो के अनुश्रवण में अपेक्षित रूचि नहीं ली जाती है। समय–समय पर इन शासकीय कर्मचारियों को शारदा सहायक समादेश, मुख्यालय, सचिवालय, बैंक, कोषागार, पोस्ट ऑफिस एवं आवश्यक कार्यो हेतु कार्यालयों में स्वंय के साधनों से जाना पडता है। ऐसी स्थिति में उचित प्रतीत होता है कि एस0एल0एन0ए0 में सम्बद्ध वर्ग–3 के शासकीय कर्मचारियों को रू0 3000.00 प्रतिमाह तथा वर्ग–4 के शासकीय कर्मचारियों को रू0 2000.00 प्रतिमाह कन्वेन्स भत्ता दे दिया जाए, जिससे शासकीय कर्मचारी अपने साधनों का इस्तेमाल करके एस0एल0एन0ए0 के कार्यो के निष्पादन में रूचि लेते हुए सम्पादित कर सके। इस कार्य के लिए स्थानीय यात्राओं हेतु शासकीय कर्मचारियों को कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जायेगा। इस प्राविधान को वित्तीय वर्ष 2015–16 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

सम्यक विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(v). मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 यथा संशोधित 2011 में परियोजना प्रबन्धन के अन्तर्गत पर्यावरण निर्माण, जागरूकता सृजन, सघन सूचना, शिक्षा व संचार (आई0ई0सी0) कार्यकलाप करने का प्राविधान है, जिसके क्रम में फील्ड में अभी तक वॉल पेन्टिंग का कार्य मुख्यतः हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में विभागीय बेवसाइट को अपग्रेड किया गया है तथा विभागीय फेसबुक भी तैयार की गयी है। परियोजनाओं के अन्तर्गत सफल प्रयोग एवं सफल कहानियों का प्रचार–प्रसार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वाटरशेड कमेटियों के लाभग्राही वर्गो को जागरूक करने एवं वातावरण सृजित करने का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में उचित प्रतीत होता है कि एस0एल0एन0ए0 स्तर से डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म तैयार करायी जाए एवं तैयार की गयी फिल्म के माध्यम से परियोजना स्तर पर योजनाओं का प्रचार–प्रसार कराया जाए, जिससे जनसहभागिता बढेगी तथा योजनाओं के प्रति लाभग्राही वर्ग संवेदनशील होंगे।

सम्यक् विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(vi). जिलाधिकारी/अध्यक्ष डब्लू0सी0डी0सी0, बहराइच के पत्र सं0 458/भू0सं0अ0/आई0डब्लू0 एम0पी0–प्रथम/2015–16 20.07.2015 द्वारा जनपद बहराइच की आई0डब्लू0एम0पी0–प्रथम परियोजना में 4000 हे0 क्षेत्र के स्थान पर 2910 हे0 क्षेत्र ही कार्य योग्य होने के कारण संसोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उक्त के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया कि आई0डब्लू0एम0पी0–प्रथम हेतु तैयार पीपीआर के आधार पर भारत सरकार द्वारा 4000 हे0 धनराशि 480.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परन्तु उक्त का डीपीआर तैयार करते समय चयनित माइक्रोवाटरशेड के उपलब्ध क्षेत्र में कार्य अयोग्य वन क्षेत्र पड़ जाने से चयनित माइक्रोवाटरशेड कोड 2B1G4b2d, 2B1G4f1b & 2B1G4f1c में क्रमशः 2050 हे0 580 हे0 एवं 280 हे0 कुल 2910 हे0 क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण उपलब्ध क्षेत्र 2910 हे0 धनराशि 349.20 लाख का डीपीआर पूर्व में तैयार कर अपलोड किया जा चुका है, परन्तु एस0एल0एन0ए0 स्तर से उक्त परियोजना पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पीपीआर के अनुसार 4000 हे0 क्षेत्र के अनुरूप धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

सर्वसम्मति से आई0डब्लू0एम0पी0–प्रथम का परियोजना क्षेत्र 4000 हे0 के स्थान पर 2910 हे0 परिवर्तित करने का अनुमोदन एस0एल0एन0ए0 द्वारा प्रदान किया गया। तद्नुसार भारत सरकार को प्रस्ताव भेज कर आवश्यक संशोधन कराने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तुत समस्त प्रस्तावों पर निर्णय पश्चात् मुख्य सचिव महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के अभिलेखों का ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराये जाने में विशेष सतर्कता बरतने की अपेक्षा की गयी जिससे वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रकाश में आ सके। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में रू0 156.14 करोड़

अवशेष होने पर खेद व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि जिन मदों की धनराशि अवशेष है उन मदों के कार्य को विशेष रूचि ले कर सम्पादित कराया जाय। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देशानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

अन्त में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

ह0

(दीपक सिंघल)
सदस्य–सचिव एसएलएनए/
प्रमुख सचिव,
परती भूमि विकास विभाग
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना
परती भूमि विकास विभाग,
एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, विभूति खण्ड़ गोमती नगर लखनऊ
दूरभाष–0522–4005337, 4113437 ईमेल–sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक– 666 / एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनॉक 11 सितम्बर,2015

कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली।
2. डा0 संदीप दबे, संयुक्त सचिव (WM) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. स्टाफ अफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन ।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

12. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्राम्य अभियन्त्रंण, उ0प्र0 शासन।
14. आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश परियोजना, 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ (उ0प्र0)।
15. आयुक्त एवं प्रशासक, रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, पाण्डुनगर कानपुर।
16. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
17. निदेशक, सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (RSAC UP) उ0प्र0 लखनऊ।
18. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग उ0प्र।
19. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, एनएएससी कामप्लेक्स देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा रोड नई दिल्ली।
20. श्री जगदीश सिंह, उप महानिरीक्षक, वन (डब्लू0एम0) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लाक नं0 11 छटवां तल सीजीओ काम्पलेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली।
21. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), गोमती नगर लखनऊ।
22. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, कानपुर।
23. अपर निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्सी का तालाब लखनऊ।
24. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, लखनऊ उ0प्र0।
25. निदेशक, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) लखनऊ।
26. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
27. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
28. सचिव, एग्री इनोवेशन फाउण्डेशन, लखनऊ।
29. प्रबन्धक, सुरभि शोध संस्थान, सिधौरा, डगमगपुर, मिर्जापुर।
30. निदेशक, दीनदयाल शोध संस्थान, शियाराम कुटीर, चित्रकूट जिला सतना (मध्य प्रदेश)।
31. प्रशासनिक अधिकारी, एस.एल.डी.सी. (आई.डब्लू.एम.पी.), गोमती नगर लखनऊ।
32. गार्ड फाइल।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक 30.07.2015 को स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी के अध्यक्ष/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में 17वीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

क्र.स.	अधिकारी का नाम/पदनाम/विभाग का नाम
1	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	श्री आञ्जनेय कुमार सिंहए विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3	श्री जे.पी. सिंह, विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
4	श्री जे.बी. सिंह, विशेष सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5	श्री सी.के. पाण्डेय, विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6	डॉ. वी. राजामणि, कार्यवाहक निदेशक, आर.एस.ए.सी., उ0प्र0।
7	डॉ. ए.एल. हलधर, वैज्ञानिक आर.एस.ए.सी., उ0प्र0।
8	श्री आर.पी. सिंह, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
9	श्री पी.एन. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10	श्री ए.के. द्विवेदी, अपर प्रमुख वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वन, उ0प्र0।
11	श्री रणबीर प्रसाद, अपर आयुक्त, मनरेगा ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
12	श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर कृषि निदेशक, कृषि, उ0प्र0।
13	श्री नवीन कुमार राय, सहायक महा प्रबन्धक, नाबार्ड, उ0प्र0।
14	डॉ. रतन प्रकाश सिंह, प्राध्यापक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर।
15	श्री कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी, सचिव, एग्री इनोवेशन फाउन्डेशन लखनऊ।
16	डॉ. वरदानी, अपर निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
17	डॉ. राणा प्रताप सिंह, अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0।
18	श्री निवास, दुग्ध विकास अधिकारी, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
19	श्री कृष्ण कुमार गुप्त, विशेष सचिव, दुग्ध विकास, उ0प्र0 शासन।
20	श्री भरत लाल राय, विशेष सचिव, लघु सिंचाई, उ0प्र0 शासन।
21	श्री एस.सी. द्विवेदी, अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, लखनऊ।
22	श्री सत्यभान, अपर प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
23	श्री उग्रसेन शाही, संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, उ0प्र0शासन।
24	श्री सुदर्शन यादव, संयुक्त निदेशक, शारदा सहायक कमाण्ड, लखनऊ।
25	श्री राजेश सिंह, मुख्य वित्तीय सलाहकार, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
26	श्री जयराम सिंह, मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक कमाण्ड, लखनऊ।
27	श्री आर.एस. सिन्हा, सिनियर हाइड्रोलॉजिस्ट भू–गर्भ जल विभाग, उ0प्र0।